न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
27/19	एफएसएस एक्ट, 2006	06/11/2019

वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

श्री जगदीश प्रसाद मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 58 साल जाति महाजन निवासी परिता रोड वजीरपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) –फर्म – जगदीश प्रसाद रमेश चन्द किराना स्टोर मैन मार्केट वजीरपुर ।

टीकमचन्द्र पुत्र श्री विष्णुलाल (प्रो0) मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स मायलापुरा [illegible] सिटी करौली राजस्थान।

खेमसिंह पुत्र ओमप्रकाश ग्राम चण्डोला सुजानपुर पोस्ट साधु आश्रम चण्डौसी [illegible] अलीगढ़ उत्तरप्रदेश 202125 नोमिनी मैसर्स गंगा डेयरी तुलसीपुरम रामघाट रोड अटरोली जिला अलीगढ़ उत्तरप्रदेश 202280।

मैसर्स गंगा डेयरी तुलसीपुरम रामघाट रोड अटरोली जिला अलीगढ़ उत्तरप्रदेश 202280।

–अविमुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 13.03.2019 को समय 01:30 पी0एम0 पर मैसर्स जगदीश प्रसाद रमेश चन्द्र किराना स्टोर मैन मार्केट वजीरपुर पर पहुँचा वहां पर जगदीश प्रसाद मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल उम्र 56 साल निवासी परिता रोड वजीरपुर उपस्थित था। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ एगमार्क स्पेशल ग्रेड देसी घी (तुलसी) [illegible] गत्ते पैक पैकिट दुकान मे रखे हुए थे के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर नमूना [illegible] लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ एगमार्क स्पेशल ग्रेड देसी घी (तुलसी) [illegible] के [illegible] वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 680/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता [illegible] हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ एगमार्क स्पेशल ग्रेड देसी घी (तुलसी) 500 एमएल के चार पैकिट मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को [illegible] कागज मे लेपटकर अभिहित अधिकारी से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक [illegible] प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील मोहरी किया। प्रत्येक [illegible] विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे [illegible] नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर [illegible] भागों को अपने कब्जे मे लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय मे पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर [illegible] लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर [illegible] प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे मोहरबंद [illegible] अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर [illegible] तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के सी0एम0 [illegible] सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

[illegible] जिला कलेक्टर एवं
[illegible] जिला मजिस्ट्रेट
[illegible]पुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2019/1000 दिनांक 24.04.2019 के द्वारा ज्ञात ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 175/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/218 दिनांक 11.04.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण मे खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 175/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/ 2019/218 दिनांक 11.04.2019 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक ने दिनांक 13.03.2019 को अभियुक्त सं0 1 के यहां से सूचना फार्म नं0 5 ए में खाद्य पदार्थ एगमार्क स्पेशल ग्रेड देशी घी (तुलसी) 500एमएल के गत्ता पैकेट का नमूना लेने के फार्म पर उक्त घी मिसब्राण्ड होने के आधार पर सेम्पल के लेना नहीं बताया है। केवल खाना पूर्ति के लिए इस फार्म पर अपरिचित व्यक्तियों के गवाहान में हस्ताक्षर होना दर्ज है। उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गयी है। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत व फर्जी तरीके से की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त प्रकरण मे कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 175/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/ 2019/218 दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड प्रकृति का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। अभियुक्तगण उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो नियमानुसार निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला मे जांच हेतु आवेदन कर सकते थे। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त सं0 1 व 2 को पृथक–पृथक रूप से 25000.–25000 (पच्चीस–पच्चीस हजार) रू0 तथा अभियुक्त सं0 3 व 4 को सयुक्त रूप से 80000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला